

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2972
दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

नीलामी में देरी और उत्पादन में गिरावट

2972. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत के लौह अयस्क भंडार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले ओडिशा की कंपनियों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों को लौह अयस्क की आपूर्ति में पिछले कई वर्षों में भारी गिरावट आई है;
- (ख) क्या यह खनन पट्टों की समाप्ति, नई नीलामी में देरी और उत्पादन में गिरावट के कारण है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि वैश्विक कीमतों में वृद्धि से प्रेरित होकर ओडिशा की कंपनियों ने निर्यात को प्राथमिकता दी, जिससे घरेलू आपूर्ति प्रभावित हुई;
- (घ) यदि हाँ, तो क्या पश्चिम बंगाल सहित देश भर में द्वितीयक इस्पात उद्योग गंभीर संकट में है और लौह अयस्क की आपूर्ति में कमी के कारण कई इकाइयाँ बंद होने के कगार पर हैं;
- (ङ) क्या केंद्र सरकार लौह अयस्क के निर्यात को नियंत्रित करने या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई ठोस नीति बना रही है ताकि घरेलू उद्योग को प्राथमिकता दी जा सके; और
- (च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): देश में लौह अयस्क का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, देश में लौह अयस्क का उत्पादन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)
1	2020-21	205
2	2021-22	254
3	2022-23	258
4	2023-24	277
5	2024-25	289

इसके अलावा, ओडिशा राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 140.93 मिलियन टन से वर्ष 2024-25 में 13% बढ़कर 159.22 मिलियन टन हो गया।

(ख): देश में अब तक कुल 150 लौह अयस्क खानों की नीलामी की गई है, जिनमें से 40 खानें उत्पादनरत हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8क(4) के प्रावधानों के अनुसार, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, पट्टे को नीलामी के लिए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 8ख में प्रावधान है कि किसी पट्टेदार को किसी खान के संबंध में प्रदत्त सभी वैध अधिकार, अनुमोदन, मंजूरीयां, अनुज्ञप्तियां आदि पट्टे की स्वतः समाप्ति या उसे समाप्त किए जाने के बाद भी वैध बने रहेंगे और ऐसे अधिकार, अनुमोदन, मंजूरीयां, अनुज्ञप्तियां आदि नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे के सफल बोलीदाता को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी में कोई देरी नहीं हुई है तथा देश में और ओडिशा में लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ा है।

(ग) और (घ): वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन 112 मिलियन टन था, जिसमें लौह अयस्क की अनुमानित आवश्यकता 179 मिलियन टन थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में लौह अयस्क का उत्पादन 289 मिलियन टन था। इसलिए, इस्पात उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए देश में लौह अयस्क का पर्याप्त उत्पादन है।

(ड) और (च): उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।
